

::शिक्षक (पं.) संवर्ग की विभिन्न आदेश जारी होने की सूचना ::

क./ ७८७ / जि.पं./ शिक्षा / 2017

जांजगीर, दिनांक २७/१०/२०१७

इस कार्यालय के विभिन्न आदेश के द्वारा शिक्षक (पं.) संवर्ग का उच्च परीक्षा अवैतनिक अध्ययन अवकाश एवं अन्तरजिला स्तर पर स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। जिसे शिक्षक (प.) संवर्ग की सुविधा की दृष्टि से इस कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट [WWW.janjgir-champa.gov.in /zilapanchayat.htm](http://WWW.janjgir-champa.gov.in/zilapanchayat.htm) पर देखा जा सकता है।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग)

जांजगीर, दिनांक २७/१०/२०१७

पृ.क्र./ ७१६० / जि.पं./ शिक्षा / 2017

प्रतिलिपि :-

- 01 कलेक्टर महोदय जिला जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ।
- 02 जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला जांजगीर/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 03 उप संचालक, जनसम्पर्क जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 04 सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीजिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
- 05 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर को जिला पंचायत के बेवसाईट पर अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने हेतु सी.डी. तथा हार्ड कापी सहित प्रेषित।
- 06 सूचना पटल में चरपा करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग)

:: आदेश ::

क्रमांक/११३०/शिक्षा/स्था./जि.पं./2017

जांजगीर, दिनांक 26/10/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी. भवन, रायपुर के पत्र क्रं. पंचा-1536/शिक्षा/2017/424 दिनांक 11.08.2017 के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.10.2017 में दिये गये अनुमोदन के अनुसार सेवा में कार्यरत निम्नांकित अप्रशिक्षित शिक्षक (पं.) संवर्ग को स्वयं के व्यय से बी.एड/डी.एड/बी.एल.एड की योग्यता हासिल करने हेतु अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्रं.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का नाम	पदनाम	विषय	कार्यरत संस्था	विकास खंड	उच्च परीक्षा जिसके लिये अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत की जाती है।
1	2	3	4	5	6	8
1	श्रीमती कजला सिंह	व्या.(पं.)	विज्ञान	शा.हाईस्कूल पंचगवा	अकलतरा	बी.एड
2	श्रीमती चांदनी किरण	व्या.(पं.)	अंग्रेजी	शा.हाईस्कूल पंचगवा	अकलतरा	बी.एड
3	श्रीमती वारुणी कमलेश	व्या.(पं.)	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि.किरारी	सक्ती	बी.एड
4	श्रीमती काजल गुप्ता	व्या.(पं.)	गणित	शा.हाईस्कूल देवरी	बलौदा	बी.एड

यह आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

शर्त :-

1. अवकाश में जाने से पूर्व एवं अवकाश से आने के पश्चात् संबंधित व्याख्याता (पं.) को इस कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य है।
2. अवकाश समाप्ति के पश्चात् संबंधित को उसी शाला में पदस्थ किया जायेगा, जहां वे अवकाश के पूर्व कार्यरत थे।

(अजीत वसंत) I.A.S.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पृ.क्र./१३१/जि.पं./शिक्षा/स्था./अनापत्ति/2017
प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 26/10/2017

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती/जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संबंधित विकास खण्ड जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रं./ ४१६२ / जि.पं./ शिक्षा/ स्था./ 2017

जांजगीर, दिनांक २५/१०/२०१७

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी. भवन, रायपुर के पत्र क्रं. पंचा-1206/पंग्राविवि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 28.08.2017 के अनुमोदन तथा जिला पंचायत बेमेतरा एवं बिलासपुर से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित व्याख्याता (पं.) का अंतरजिला के अधीन समान पद, समान सामर्थ्य में कालम 07 में दर्शित जिला पंचायत हेतु आपसी आधार पर स्थानान्तरण किया जाता है एवं इनकी सेवायें संबंधित जिला पंचायत को सौंपी जाती है :-

क्रं.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का नाम	पदनाम	विषय	कार्यरत संस्था	विकास खंड	जिला	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीता लालजी	व्या. (पं.)	अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि.किरीत	नवागढ़	जांजगीर-चांपा	आपसी
	जयगणेश राठौर	व्या. (पं.)	अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि.तुमा	बेमेतरा	बेमेतरा	
2	श्री गेन्द्रराम सूर्यवंशी	व्यायाम शिक्षक (पं.)	-	शा.उ.मा.वि.परसाडीह	जैजैपुर	जांजगीर-चांपा	आपसी
	श्रीमती राजकुमारी	व्यायाम शिक्षक (पं.)	-	शा.उ.मा.वि.खम्हरिया	मस्तुरी	बिलासपुर	

इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी तथा स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पृ.क्रं./ ४१६३ / जि.पं./ शिक्षा/ स्था./ 2017
प्रतिलिपि,

जांजगीर, दिनांक २५/१०/२०१७

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी. भवन, रायपुर के पत्र क्रं. पंचा-1206/पंग्राविवि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
- 2- संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3- कलेक्टर, जिला की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- संबंधित श्री/श्रीमती, शिक्षक (पं.) विकास खंडकी ओर सूचनार्थ/पालनार्थ अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)